न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 145/2016 दायर दिनांक : 22.06.2016

जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00056

1. मदनलाल पुत्र बेगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बतौर प्रतिनिधि राजस्थान सरकार बतौर भू—धारक

—प्रतिवादी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 29.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी व राज्य पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही पीपासर के खसरा संख्या 100 नये मिन नम्बर 100/10 में 23.16 बीघा व खसरा संख्या 81 मिन नम्बर 81/7 में 17.00 बीघा रकबा इस प्रकार कुल 42.16 बीघा रकबा (टी.सी.) आवंटन होकर वादी के कब्जा काश्त में चला आ रहा था। रोही पीपासर हाल रोही चक गोदारान की राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी व गिरदावरियों में सम्वत् 2061 के पश्चात् अवैधानिक तरीके से परिवर्तन कर दिया है तथा रोही में सम्वत् 2038 की सर्वे लागू कर वादी के रोही पीपासर हाल रोही चक गोदारान के खसरा संख्या 100 नये मिन नम्बर 100/10 में 23.16 बीघा व खसरा नं. 81 नये मिन नम्बर 81/7 में 17.00 बीघा रकबा इस प्रकार कुल 42.16 बीघा रकबा आराजीराज कर दिया। जबकि वादी का कब्जा 100/10 व 81/7 के रकबा पर ही चला आ रहा है। वर्तमान में 100/10 से नया मिन नं. 100/15 के 6.021 हैक्टर व खसरा नं. 81/7 से नया मिन नं. 81/7 के 2.049 हैक्टर व 81/6 के 2.251 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसलिये वादी को खसरा संख्या 100/10 से नया मिन नं. 100/15 के 6.021 हैक्टर व खसरा संख्या 81/7 से नया मिन नं. 81/7 के 2.049 हैक्टर व खसरा नं. 81/6 के 2.251 हैक्टर रकबा का अस्थाई आवंटी (टी.सी.) आवंटी घोषित किया जाकर रिकार्ड को दुरस्त किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 राज्य पक्ष की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने पर दिनांक 29.11.2017 को जवाब दावा बंद किया जाकर निम्न तनकीयात कायम की गई :

1. आया वादी के नाम रोही पीपासर के ख.नं. 100 नये मिन नं. 100/10=23.16 बीघा व ख.नं. 81 नये मिन नं. 81/7=17.00 बीघा कुल 40.16 बीघा रकबा आवंटन से लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है? (वादी)
2. आया विवादित रकबा के संबंध में सम्वत् 2061 के पश्चात् की गिरदावरियों में असवैधानिक तरीके से परिवर्तन किया गया ? (वादी)
3. आया वादी अपने नाम से रोही पीपासर के ख.नं. 100/10 से नया मिन नं. 100/15 के 6.021 हैक्टर व ख.नं. 1 से नया मिन नं. 81/7 की 2.049 हैक्टर व 81/6 के 2.251 हैक्टर रकबा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में टी.सी. दर्ज करवाने का हकदार है तथा उक्त रकबा आराजी राज से कलमजन योग्य है ? (वादी)
4. अनुतोष।

उपरोक्तानुसार बाद कायमी तनकीयात वादीगण ने शपथ-पत्र पर साक्ष्य करवाये। उनके द्वारा साक्ष्य शपथ-पत्र पर प्रस्तुत किये गये। बाद आने साक्ष्य तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी को वादग्रस्त भूमि का टी.सी. आवंटी गिरदावरी के अंकन से पुष्ट होना दस्तावेजी साक्ष्य से बताया। रकबा आराजी राज से कलमजन किया जाकर रिकार्ड दुरस्त करने का निवेदन किया। [illegible]पत्र के आधार पर तनकीयात बहक वादी पूर्ण रूप से [illegible] पुष्ट होने पर प्रश्नगत भूमि का वादी को अस्थाई आवंटी (टी.सी.) [illegible] अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन किया गया। तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी नं. 1 – आया वादी के नाम रोही पीपासर के ख.नं. 100 नये मिन नं. 100/10=23.16 बीघा व ख.नं. 81 नये मिन नं. 81/7=17.00 बीघा कुल 40.16 बीघा रकबा आवंटन से लगातार कब्जा काश्त में चला आ रहा है?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादीगण ने वाद के साथ प्रस्तुत ग्राम पीपासर की जमाबन्दी सम्वत् 2042 की ओर ध्यान दिलाया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि रोही पीपासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2042 के खाता संख्या 272 के खसरा संख्या 81/7 की 17.00 बीघा तथा खसरा संख्या 100/10 की 23.16 बीघा कुल 42.16 बीघा रकबा मदनलाल पुत्र बेगाराम ब्राह्मण सा. पीपासर T.C. आवंटन अंकित है। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि रोही पीपासर के खसरा संख्या 81/7 व खसरा संख्या 100/10 का रकबा ग्राम चक गोदारान में पैमुद हुआ है तथा खसरा परिवर्तनशील का कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। खसरा के नये मिन नम्बर का अंकन किस प्रकार आया है। ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है। खसरा मिलान क्षेत्रफल से साबित नही किया है। इसलिये वादी को रोही पीपासर में आवंटित रकबा रोही चक गोदारान में परिवर्तन/पैमुद हुआ है ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना होने से सही माना जाने योग्य नही है, इसलिए तनकी नं. 1 विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – <u>आया विवादित रकबा के संबंध में सम्वत् 2061 के पश्चात् की गिरदावरियों में असवैधानिक तरीके से परिवर्तन किया गयां ?</u>

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का संबंध तनकी नं. 1 से था। तनकी नं. 1 जो वादी के विरूद्ध तय की जा चुकी है। इसलिये यह तनकी [illegible] वादी के [illegible] की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 3 – <u>आया [illegible] के ख.नं. 100/10 से नया मिन नं. 100/15 के 6.0[illegible] [illegible] मिन नं. 81/7 की 2.049 हैक. व 81/6 के 2.251 हैक. रकबा [illegible]पने नाम से राजस्व रिकार्ड में टी.सी. दर्ज करवाने का हकदार है तथा उक्त रकबा आराजी राज से कलमजन योग्य है ?</u>

(वादी)

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इस तनकी का संबंध तनकी नं. 1 से था। तनकी नं. 1 जो वादी के विरूद्ध तय की जा चुकी है। इसलिये यह तनकी भी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकी नं. 1 से 5 वादी द्वारा सिद्ध किया जाना था, जिन्हें वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1. मदनलाल पुत्र बेगाराम जाति ब्राह्मण निवासी पीपासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बतौर प्रतिनिधि राजस्थान सरकार बतौर भू–धारक

–प्रतिवादी

वाद पत्र धारा–88,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 145 वर्ष 2016 (GCMS No. 2016/145) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा तथा पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

''वाद वादी अस्वीकार किया जाता है''

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह..... x..... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २९.01.2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested